भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2480

दिनांक 13.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल शक्ति मिशन के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को जारी की गई निधि

2480. श्री अब्दुल रशीद शेखः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जल शक्ति मिशन के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर के आकांक्षी जिलों को जारी की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) जम्मू और कश्मीर में शुद्ध पेयजल प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या जिलेवार कितनी है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति

(श्री वी. सोमण्णा)

(क): अगस्त 2019 से, भारत सरकार जम्मू और कश्मीर के आकांक्षी जिलों सहित देश भर के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ भागीदारी में जल जीवन मिशन (जेजेएम) लागू कर रही है। देश में कुल 112 आकांक्षी जिले हैं, जिनमें जम्मू-कश्मीर के दो जिले बारामूला और कुपवाड़ा शामिल हैं। जैसा कि जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 15.08.2019 को जेजेएम आईएमआईएस पर रिपोर्ट किया गया था, इन आकांक्षी जिलों में 1.25 लाख (41.61%) ग्रामीण परिवारों में नल जल आपूर्ति का प्रावधान था। तब से, लगभग 1.33 लाख अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को जेजेएम के तहत नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 10.03.2025 तक, इन दो जिलों में 3.01 लाख ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2.58 लाख (85.71%) ग्रामीण परिवारों में नल जल आपूर्ति है, जो संघ राज्य क्षेत्र कवरेज (81.06%) और राष्ट्रीय औसत (79.91%) से तुलनात्मक रूप से अधिक है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत, निधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीधे जारी की जाती हैं और आकांक्षी जिलों सहित जिसका जिला-वार आगे आबंटन केवल संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है न कि भारत सरकार के स्तर पर। इस प्रकार, विगत तीन वर्षों 2021-

22, 2022-23 और 2023-24 और वर्तमान वर्ष के दौरान जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को जारी की गई धनराशि क्रमशः 604.18 करोड़ रुपये, 1,439.50 करोड़ रुपये, 3,267.12 करोड़ रुपये और 633.86 करोड़ रुपये है।

(ख): जैसा कि जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र द्वारा सूचित किया गया है, 15.08.2019 को जेजेएम की शुरुआत में, केवल 5.75 लाख (29.92%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन थे। तब से, लगभग 9.84 लाख और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 10.03.2025 तक, राज्य के 19.23 लाख ग्रामीण परिवारों में से, लगभग 15.59 लाख (81.06%) ग्रामीण परिवारों को नल जल आपूर्ति का प्रावधान किया गया है। 10.03.2025 तक जम्मू और कश्मीर में जिले-वार पेयजल उपलब्धता वाले परिवारों की संख्या अनुबंध में है।

*****

अनुबंध

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं 2480 के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध

10.03.2025 तक जम्मू और कश्मीर में नल जल कनेक्शन की जिलेवार स्थिति

क्र.सं.	**जिला**	**ग्रामीण परिवारों की संख्या**	**कुल पारिवारिक कनेक्शन**	**कुल पारिवारिक कनेक्शन का %**
1	अनंतनाग	1,32,864	1,23,441	92.91
2	बांदीपोरा	46,895	40,919	87.26
3	**बारामूला**	**1,44,794**	**1,28,658**	**88.86**
4	बड़गाम	1,27,754	1,14,245	89.43
5	डोडा	1,25,652	1,00,665	80.11
6	गंदरबाल	41,551	41,551	100
7	जम्मू	1,88,155	1,24,938	66.4
8	कठुआ	1,40,030	1,04,518	74.64
9	किश्तवाड़	55,595	43,223	77.75
10	कुलगाम	61,122	53,871	88.14
11	**कुपवाड़ा**	**1,56,264**	**1,29,738**	**83.02**
12	पूंछ	1,06,881	84,971	79.5
13	पुलवामा	82,504	72,403	87.76
14	राजौरी	1,35,613	89,483	65.98
15	रामबन	60,784	48,594	79.95
16	रियासी	79,754	72,350	90.72
17	सम्बा	80,696	54,367	67.37
18	सौपियां	45,423	41,912	92.27
19	श्रीनगर	10,407	10,407	100
20	उधमपुर	1,00,602	78,827	78.36
कुल		**19,23,340**	**15,59,143**	**81.06**